हीटवेव को अधिसूचित आपदा के रूप में क्यों शामिल नहीं किया गया है

वर्तमान में अत्यधिक गर्मी और उससे हो रहे नुकसानों के बीच भारत के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हीटवेव को मान्यता प्राप्त आपदा के रूप में वर्गीकृत करने पर बहस पर चर्चा चल रही है।माना जा रहा है यह परिवर्तन राज्यों को हीटवेव प्रबंधन के लिए विशिष्ट आपदा निधि का उपयोग करने की अनुमति देगा। वर्तमान में, हीटवेव को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिससे राज्यों के लिए वित्तपोषण और संसाधन संबंधी चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।

अधिसूचित आपदाएं क्या हैं?

अधिसूचित आपदाएँ, आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 के तहत मान्यता प्राप्त विशिष्ट आपदाएँ हैं। डीएम अधिनियम 1999 के ओडिशा सुपर-चक्रवात और 2004 की सुनामी के बाद बनाया गया था।

इसमें आपदाओं को ऐसी घटनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाती हैं।

मान्यता प्राप्त आपदाओं के लिए राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसड.ीआरएफ) का उपयोग करने की अनुमति है। 2023-24 में, केवल दो राज्यों ने एनडीआरएफ से धन निकाला।

भारत के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हीटवेव को आपदा के रूप में मान्यता देने के पीछे क्या तर्क हैं?

बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता : पिछले 15 वर्षों में, हीटवेव अधिक गंभीर और लगातार हो गई हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अधिक जोखिम पैदा हो गया है। गर्मी से संबंधित बीमारियों और मौतों की बढ़ती संख्या, विशेष रूप से बाहर काम करने वालों में, हीटवेव को आपदा के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

आपदा प्रतिक्रिया निधि में सुधार : मान्यता से राज्यों को हीटवेव प्रबंधन के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) और संभावित रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से धन का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी, जिसमें हीट एक्शन प्लान (एचएपी) का वित्तपोषण भी शामिल है। इन योजनाओं में छायादार स्थान बनाना, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और हीटवेव के प्रभावों को कम करने के लिए काम और स्कूल के शेड्यूल को समायोजित करना शामिल है।

भारत के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हीटवेव को आपदा के रूप में मान्यता देने के खिलाफ क्या तर्क हैं?

वित्तीय बाधाएँ: हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा के रूप में मान्यता देने से वित्तीय बोझ में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। 15वें वित्त आयोग ने कहा कि अधिसूचित आपदाओं की मौजूदा सूची काफी हद तक राज्यों की जरूरतों को पूरा करती है, जिससे पता चलता है कि हीटवेव को जोड़ने से वित्तीय निहितार्थ काफी हद तक बढ़ सकते हैं।

मुआवजा लागत: आधिकारिक मान्यता के लिए सरकार को हीटवेव से संबंधित मौतों और चोटों के लिए मुआवजा देना होगा। इस साल अकेले, 500 से ज्यादा हीटवेव से संबंधित मौतें रिपोर्ट की गई हैं, और आधिकारिक मान्यता के कारण मुआवजा लागत बढ़ सकती है।

जिम्मेदारी तय करने की चुनौतियां: यह निर्धारित करना कि क्या मृत्यु सीधे तौर पर हीटवेव के कारण हुई है, जटिल है, क्योंकि गर्मी अक्सर एकमात्र कारण होने के बजाय पहले से मौजूद स्थितियों को और खराब कर देती है, जिससे सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है।

स्थानीय आपदाओं के लिए मौजूदा प्रावधान: पिछले वित्त आयोग द्वारा सक्षम प्रावधान राज्यों को हीटवेव जैसी स्थानीय आपदाओं के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) का 10% तक उपयोग करने की अनुमति देता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और केरल जैसे राज्यों ने पहले ही हीटवेव को स्थानीय आपदाओं के रूप में नामित किया है, प्रबंधन और राहत के लिए इस प्रावधान का उपयोग किया है, जिससे राष्ट्रीय मान्यता की आवश्यकता कम हो सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधिसूचित आपदाएँ, आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 के तहत मान्यता प्राप्त विशिष्ट आपदाएँ हैं।
2. भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 1999 के ओडिशा सुपर-चक्रवात और 2004 की सुनामी के बाद बनाया गया था।।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Que. Consider the following statements:

1. Notified disasters are specific disasters recognized under the Disaster Management (DM) Act, 2005.
2. The Disaster Management Act in India was enacted after the 1999 Odisha super-cyclone and the 2004 tsunami.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: भारत के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हीटवेव को अधिसूचित करने के पक्ष विपक्ष की चर्चा करें।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम की संक्षेप में चर्चा करें।
- दूसरे भाग में हीटवेव को अधिसूचित करने के पक्ष विपक्ष की चर्चा करें।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।